मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 25/10/2021

क्र.एफ 17-24/2021/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम अंतर्गत कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित उद्योगों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

1. एमपीआईडीसी द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों/ आवंटित अविकसित शासकीय भूमियों के भू-आवंटितियों से मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रभार्य वार्षिक भू-भाटक एवं संधारण शुल्क को कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 01.05.2021 से विभाग द्वारा जारी इस आदेश के दिनांक से, 30 दिवस के भीतर तक भुगतान करने की सुविधा बिना किसी ब्याज, जुर्माना या विलम्ब शुल्क के प्रदान की जाये।

2. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम अंतर्गत भू-आवंटितियों के लिये विभिन्न प्रयोजन हेतु निर्धारित समयावधि में दिनांक 01.05.2021 से 31.08.2021 तक की चार माह की समयावधि को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 17-24/2021/ए-ग्यारह — भोपाल, दिनांक 25/10/2021

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग